



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2018/फाल्गुन 10, 1939

No. 84]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

सं. सीईआई/1/2/2017.—विद्युत (पिछले प्रकाशन के लिए कार्य विधि) नियम, 2005 के नियम (3) के उपनियम (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव कर रहे प्रारूप विनियम, छह दैनिक समाचारपत्रों में, उस तारीख से, जिससे उक्त प्रकाशनों में अंतर्विष्ट समाचारपत्रों की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे।

और उक्त समाचारपत्रों में अंतर्विष्ट विनियम की प्रतियाँ 23 अगस्त, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और उक्त विनियम प्रारूप से सम्बन्धित जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया था;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 177 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से सम्बंधित उपाय) विनियम, 2010 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी उपाय) संशोधन विनियम, 2018 है;
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 में -
(क) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के उपबंध (च क) तथा उपबंध (य ट क) को निम्नलिखित से क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -
'(च क) "चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजिनियर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसको समुचित सरकार द्वारा विनियम 5(अ) के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट किया गया है;';
'(य ट क) "अधिसूचित वोल्टेज" से अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा, प्राधिकरण की संसूचना में, स्वःप्रमाणन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित ऐसी वोल्टेज से है जिस वोल्टेज तक के विद्युत प्रतिष्ठानों को विनियम 30 और विनियम 43 के अंतर्गत स्वःप्रमाणित किया जा सकता है;';
(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः -
"(2) विद्युत सुरक्षा अधिकारी के पास इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ-साथ विद्युत प्रतिष्ठानों के प्रचालन और अनुरक्षण में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होने के साथ-साथ विद्युत प्रतिष्ठानों के प्रचालन एवं अनुरक्षण में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए;";
(ग) विनियम 5क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थातः -
"5क. चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजिनियर.- (1) समुचित सरकार द्वारा विद्युत प्रतिष्ठानों के स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रतिष्ठान को विनियम 30 या विनियम 43 के अंतर्गत स्वःप्रमाणन के प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए, उप-विनियम (3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अहर्ता और अनुभव वाले व्यक्तियों में से चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजिनियर प्राधिकृत किया जाएगा;
(2) किसी व्यक्ति को चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजिनियर प्राधिकृत किए जाने के साथ ही, समुचित सरकार द्वारा उसका नाम, विद्युत प्रतिष्ठानों के स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता की जानकारी के लिए, सरकारी या विद्युत प्रतिष्ठानों के निरीक्षण से सम्बन्धित विभाग के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाएगा;
(3) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, छह माह की अवधि के भीतर, चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजिनियर को प्राधिकृत करने के लिए पात्रता की शर्तों सहित मार्गदर्शक सिद्धांत बनाकर प्रकाशित करेगा।"
(घ) विनियम 30 में, उपविनियम (2) और उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः -
"(2) उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचित वोल्टेज या उससे कम वोल्टेज वाले विद्युत प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता और ऐसे प्रतिष्ठानों का स्वःप्रमाणन स्वयं किया जाएगा तथा स्वःप्रमाणन की रिपोर्ट, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूपों में, यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता इलैक्ट्रिकल निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा :

परंतु स्व:प्रमाणित किए गए ऐसे विद्युत प्रतिष्ठान को स्व:प्रमाणन की रिपोर्ट इलैक्ट्रिकल निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत ही सम्यक रूप से निरीक्षित और परीक्षण हुआ माना जाएगा :

परंतु यह और कि स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के पास समुचित सरकार के इलैक्ट्रिकल निरीक्षक से अपने प्रतिष्ठान का निरीक्षण और परीक्षण कराने का विकल्प होगा;

(2क) उपविनियम (2) के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 54 के अधीन आने वाले प्रत्येक विद्युत प्रतिष्ठान, जिसमें कि खानों, तेल क्षेत्रों व रेल के विद्युत प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं, का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण समुचित सरकार के इलैक्ट्रिकल निरीक्षक द्वारा ही किया जाएगा;

(2ख) इलैक्ट्रिकल निरीक्षक, उपविनियम (2) में निर्दिष्ट स्व:प्रमाणन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता की रिपोर्ट को सत्यापित करेगा और यदि रिपोर्ट में इन विनियमों के अनुपालन के सन्दर्भ में कोई फेरफार है तो उसे अभिलिखित करेगा;

(2ग) फेरफार के मामले में यथास्थिति इलैक्ट्रिकल निरीक्षक स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता को संशोधन के लिए भेजेगा और यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता विद्युत प्रतिष्ठान में संशोधन करके पन्द्रह दिन की अवधि के अंदर अनुपालना रिपोर्ट इलैक्ट्रिकल निरीक्षक को उपलब्ध कराएगा;

(2घ) इलैक्ट्रिकल निरीक्षक उपविनियम (2 ग) में उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट से समाधान न होने की स्थिति में स्व:प्रमाणन रिपोर्ट उपलब्ध होने के एक वर्ष की अवधि के अंदर ऐसे विद्युत प्रतिष्ठान का निरीक्षण करेगा और यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता की त्रुटियों को, अगर कोई है तो, पन्द्रह दिन की अवधि के अंदर सुधार करने के लिए संसूचित करेगा;

(2ङ) यदि यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता त्रुटियों को उपविनियम (2 घ) में दिए निर्देशों के अनुसार ठीक करने में असफल रहता है, तो ऐसे विद्युत प्रतिष्ठान इलैक्ट्रिकल निरीक्षक के निर्देशानुसार वियोजित (कनेक्शन काटने) के लिए दायी होगा, इसके लिए इलैक्ट्रिकल निरीक्षक द्वारा कम से कम अड़तालीस घंटे पहले नोटिस देना होगा।

(3) अधिसूचित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज वाले स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के विद्युत प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण इलैक्ट्रिकल निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।”

(ड) विनियम 43 में -

(i) उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“(1)(क) उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचित वोल्टेज और उससे कम वोल्टेज वाले विद्युत प्रतिष्ठान में आपूर्ति शुरू करने से पूर्व अथवा छ: महीने और उससे अधिक समय से बंद विद्युत प्रतिष्ठान की आपूर्ति बहाल करने से पूर्व, ऐसे प्रतिष्ठान का निरीक्षण, परीक्षण एवं स्व:प्रमाणन प्रतिस्थान के यथास्थिति स्वामी या

आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाएगा और स्वःप्रमाणन की रिपोर्ट, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गए प्रारूपों में, यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता, इलैक्ट्रिकल निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा:

परन्तु, स्वःप्रमाणित किया गया ऐसा विद्युत प्रतिष्ठान स्वःप्रमाणन की रिपोर्ट इलैक्ट्रिकल निरीक्षक के कार्यालय में सम्यक रूप से प्राप्त होने के उपरान्त ही आपूर्ति आरंभ करने अथवा छः महीने या उससे अधिक समय से बंद विद्युत प्रतिष्ठान की आपूर्ति ठीक करने के उपयुक्त माना जाएगा:

परन्तु यह और कि, यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के पास समुचित सरकार के इलैक्ट्रिकल निरीक्षक से अपने प्रतिष्ठान का निरीक्षण और परीक्षण कराने का विकल्प होगा।

(ख) खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विद्युत प्रतिष्ठान, जिसमें कारखानों, तेल क्षेत्रों व रेल के विद्युत प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण समुचित सरकार के इलैक्ट्रिकल निरीक्षक द्वारा ही किया जाएगा जैसा यथा-उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट है;”

(ii) उप-विनियम (3) और उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखें जाएंगे, अर्थातः -

(3) अधिसूचित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज वाले विद्युत संस्थापन और विनियम 32 में विनिर्दिष्ट क्षमता से अधिक उत्पादक केन्द्रों के सभी उपकरणों को आपूर्ति शुरू करने अथवा छः महीने या उससे अधिक समय से बंद विद्युत संस्थापन की आपूर्ति बहाल करने से पूर्व, उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और परीक्षण इलैक्ट्रिकल निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(4)(क) इलैक्ट्रिकल निरीक्षक उपविनियम (1) में निर्दिष्ट स्वःप्रमाणन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता की रिपोर्ट को सत्यापित करेगा यदि रिपोर्ट में इन विनियमों के अनुपालन के सन्दर्भ में कोई भिन्नता है तो उसे अभिलिखित करेगा;

(ख) फेरफार के मामले में इलैक्ट्रिकल निरीक्षक जिसे परिशुद्धि की अपेक्षा है, फेरफारों को अभिलिखित की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उसी को परिशुद्धि के लिए यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता को निर्देश देगा और यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता इलैक्ट्रिकल निरीक्षक के लिए अनुपालन की रिपोर्ट भेजेगा।

(ग) यदि इलैक्ट्रिकल निरीक्षक, खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट के साथ समाधान नहीं होता है, तो स्वःप्रमाणन रिपोर्ट उपलब्ध होने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसे विद्युत संस्थापन का निरीक्षण करेगा और यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता को त्रुटियों, अगर कोई है तो, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर परिशोधन करने के लिए संसूचित करेगा;

(घ) यदि यथास्थिति स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता, त्रुटियों को उपर खण्ड (ग) के अधीन दिए गए निर्देशों के अनुसार करने में असफल रहता है, तो ऐसे विद्युत संस्थापन इलैक्ट्रिकल निरीक्षक के निर्देशानुसार वियोजित (कनेक्शन काटने) के लिए संभाव्य होगा, परन्तु इसके लिए इलैक्ट्रिकल निरीक्षक द्वारा कम से कम अड़तालीस घंटे पहले नोटिस देना होगा।”

- (च) विनियम 63 के उप विनियम (4) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -
 "(ग) उपर उपखंड (ख) में उल्लिखित मजदूरी की पन्द्रह प्रतिशत सीमा तक पर्यवेक्षण प्रभार और इस प्रकार के फेरबदल के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 67 के उपबन्धों के अनुपालन में स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता द्वारा उपगत किया गया प्रभार।"

पी. सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असाधारण/457/2017]

नोट : मुख्य विनियम भारत का राजपत्र के असाधारण भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना सं. सी.ई.आई./1/59/सी.ई.ए./ई.आई. तारीख: 20 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित हुआ तत्पश्चात्, भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-III, खंड 4 में संशोधित अधिसूचना सं. सी.ई.आई./1/2/2015 दिनांक: 13 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF POWER
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2018

No. CEI/1/2/2017.—Whereas the draft regulations proposing to amend the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, was published in six newspaper dailies, as required by sub-section (3) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days, from the date on which the copies of the newspapers containing the said publications were made available to the public;

And whereas copies of the said newspapers containing the said regulations were made available to the public on the 23rd August, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 177 read with section 53 of the said Act, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations, further to amend the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Amendment Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations 2010,-
 - (a) in regulation 2, in sub-regulation (1) for clause (fa) and clause (zka), the following shall be substituted respectively, namely: -

‘(fa) “Chartered Electrical Safety Engineer” means a person authorised by the Appropriate Government as referred to in regulation 5A;’;

‘(zka) “notified voltage” means a voltage notified by the Appropriate Government under intimation to the Authority for the purpose of specifying the voltage level upto which self-certification is to be carried out under regulation 30 and regulation 43;’;
 - (b) in regulation 5, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely: -

“(2) The Electrical Safety Officer shall possess a degree in Electrical Engineering with at least five years experience in operation and maintenance of electrical installation or a diploma in Electrical Engineering with at least ten years experience in operation and maintenance of electrical installations.”;

- (c) for regulation 5A, the following regulation shall be substituted, namely: -
- “5A. Chartered Electrical Safety Engineer.- (1) The Appropriate Government shall authorise Chartered Electrical Safety Engineer from amongst persons having the qualification and experience as specified by the Authority under sub-regulation (3) to assist the owner or supplier or consumer of electrical installations for the purpose of self-certification under regulation 30 and regulation 43.
- (2) The Appropriate Government shall upload the name of the Chartered Electrical Safety Engineer, as soon as any person is authorised as Chartered Electrical Safety Engineer, on the web portal of the Government or Department dealing with matters of inspection of electrical installations for the information of the owner or supplier or consumer.
- (3) The Central Electricity Authority shall, within a period of six months, frame and publish the guidelines including the eligibility conditions for the purpose of authorising the Chartered Electrical Safety Engineer.”.
- (d) in regulation 30, for sub-regulation (2) and sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely: -
- “(2) The periodical inspection and testing of installation of voltage equal to or below the notified voltage belonging to the owner or supplier or consumer, as the case may be, shall be carried out by the owner or supplier or consumer and shall be self-certified for ensuring observance of safety measures specified under these regulations and the owner or supplier or consumer, as the case may be, shall submit the report of self-certification to the Electrical Inspector in the format as specified by the Authority:
- Provided that the electrical installation so self-certified shall be considered as duly inspected and tested only after the report of self-certification is duly received by the office of Electrical Inspector:
- Provided further that the owner or supplier or consumer has the option to get his installation inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government.
- (2A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), every electrical installation covered under section 54 of the Act including every electrical installation of mines, oil fields and railways shall be periodically inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government.
- (2B) The Electrical Inspector shall, on receipt of the report of self-certification of electrical installation referred in sub-regulation (2), verify the report submitted by the owner or supplier or consumer, as the case may be, and record variation, if any, in accordance with these regulations.
- (2C) The Electrical Inspector in case of variations, which require rectification, direct the owner or supplier or consumer, as the case may be, to rectify the same within a period of fifteen days and the owner or supplier or consumer, as the case may be, shall send a report of compliance to the Electrical Inspector.
- (2D) The Electrical Inspector, in case not satisfied with the compliance report submitted under sub-regulation (2C), shall inspect the electrical installation within a period of one year from the date of submission of self-certification report and intimate the owner or supplier or consumer of the installation the defects, if any, for rectification within fifteen days.
- (2E) If the owner or supplier or consumer, as the case may be, fails to comply with the directions as given under sub-regulation (2D), such installation shall be liable to be disconnected under the directions of the Electrical Inspector after serving the owner or supplier or consumer, as the case may be, of such installation with a notice for a period not less than forty-eight hours.
- (3) The periodical inspection and testing of installation of voltage above the notified voltage belonging to the owner or supplier or consumer shall be carried out by the Electrical Inspector.”;
- (e) in regulation 43,-
- (i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(1) (a) Every electrical installation of notified voltage and below shall be inspected, tested and self-certified by the owner or supplier or consumer, as the case may be, of the installation before commencement of supply or recommencement after shutdown for six months and above for ensuring observance of safety measures specified under these regulations and such owner or supplier or consumer, as the case may be, shall submit the report of self-certification to the Electrical Inspector in the formats as framed and issued by the Authority:
- Provided that the electrical installation so self-certified shall be considered fit for the commencement of supply or recommencement after shutdown for six months only after the report of self-certification is duly received by the office of Electrical Inspector:
- Provided further that the owner or supplier or consumer, as the case may be, has the option to get his installation inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government.

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), every electrical installation covered under section 54 of the Act including every electrical installation of mines, oil fields and railways shall be inspected and tested by the Electrical Inspector of the Appropriate Government as specified in sub-regulation (3);”;

(ii) for sub-regulation (3) and sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

“(3) Every electrical installation of voltage above the notified voltage and all the apparatus of the generating stations and above the capacity specified under regulation 32, shall be inspected and tested by the Electrical Inspector before commencement of supply or recommencement after shutdown for six months and above for ensuring observance of safety measures specified under these regulations;

(4) (a) The Electrical Inspector shall, on receipt of the report of self-certification of electrical installation referred in sub-regulation (1), verify the report submitted by the owner or supplier or consumer, as the case may be, and record variation, if any, in accordance with these regulations;

(b) The Electrical Inspector in case of variations which require rectification, direct the owner or supplier or consumer to rectify the same within a period of fifteen days from the date of recording of the variations and the owner or supplier or consumer, as the case may be, shall send a report of compliance to the Electrical Inspector;

(c) If the Electrical Inspector, is not satisfied with the compliance report submitted under clause (b), shall inspect the electrical installation within a period of ninety days from the date of submission of self-certification report and intimate the owner or supplier or consumer of the installation the defects, if any, for rectification within fifteen days;

(d) If the owner or supplier or consumer, as the case may be, fails to comply the directions as given under clause (c), such installation shall be liable to be disconnected under the directions of the Electrical Inspector after serving the owner or supplier or consumer, as the case may be, of such installation with a notice for a period not less than forty-eight hours.”;

(f) in regulation 63, in sub-regulation (4), for clause (c), the following shall be substituted, namely: -

“(c) supervision charge to the extent of fifteen per cent of the wages mentioned in clause (b) and charges incurred by the owner or supplier or consumer in complying with the provisions of section 67 of the Act, in respect of such alterations.”.

P. C. KURBEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./457/2017]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. CEI/1/59/CEA/EI, dated the 20th September 2010 and subsequently amended by notification No. CEI/1/2/2015 dated the 13th April 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.

